

(2)


राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/123 दायर दिनांक 13/7/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट
उनवान - गोकुलसिंह पिता बापूलाल सौधिया नि० हरनावदागजा तहसील पिडावा
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज०

-: आदेश :- दिनांक 3/07/2023


प्रार्थी गोकुलसिंह पिता बापूलाल सौधिया नि० हरनावदागजा तहसील पिडावा के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिडावा की अनुशंघा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम हरनावदागजा पटवार मण्डल हरनावदागजा तहसील पिडावा की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 मे खाता संख्या 488, 489, 97 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी के पिता का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/ पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	ग्राम हरनावदागजा पटवार मण्डल हरनावदागजा तहसील पिडावा	488 489 97	गोकुलसिंह पुत्र बापु	गोकुलसिंह पुत्र बापूलाल


उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड
पिडावा, जिला झालावाड (राज०) दिनांक 13/7/23

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 123
प्रतिलिपी निम्न को पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-
तहसीलदार पिडावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।




उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

